

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुझुनुं (राज0)

मुकदमा
90/2019

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
12.02.2019

निर्णय दिनांक
04.04.2019

उनवान सरकार बनाम मैनपाल पुत्र जीवाराम जाति अहीर निवासी निहालपुरा
तहसील बुहाना जिला झुझुनुं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सोहली ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम निहालपुरा गै0 मु0 जोहड़ ख0 न0 151 कुल रकबा 27.06 है0 मे से 0.05 है0 पर अतिक्रमी मैनपाल पुत्र जीवाराम जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुझुनुं (राज0) ने अवैध रूप से फसल रबी में गेहूँ जौ (0.05 है0) कास्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी (जरिये भाई) उपस्थित रहा एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी द्वारा गै0 मु0 जोहड़ में फसल गेहूँ व जौ कास्त कर रखी थी जिस बाबत भू0 अ0 निरीक्षक व हल्का पटवारी को गेहूँ व जौ फसल कुर्क करने के आदेश पारीत किये गये जो बाद कुर्क कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात फसल को कब्जे राज लेकर निलाम करने के आदेश पारीत किये गये बाद निलामी अन्तिम बोलीदाता संजय पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुझुनुं के पक्ष में स्वीकृत की गई। बाद निलामी राशि जरीये चालान नं0 314 दिनांक 28.03.2019 को राजकोष में जमा करवाई गई।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा गेहूँ व जौ फसल कास्त कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से फसल गेहूँ व जौ फसल कास्त कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.44/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 151 लगान 0.22 की 50 गुणा जुर्माना राशि 11/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फेसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

43
6
11/

Suman

तहसीलदार बुहाना
(प्रभुदयाल व्यास)
तहसीलदार बुहाना (राज.)